आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण की सुविधा हेतु पात्रता शर्तें :-

- परिवार की विगत वित्तीय वर्ष में कुल वार्षिक आय 8 लाख रूपये से कम है इनके परिवार के स्वामित्व में निम्नलिखित में से कोई भी परिसम्पत्ति नहीं है ।
 - I. 5(पांच) एकड़ कृषि योग्यभूमि अथवा इससे ऊपर I
 - II. एक हज़ार वर्ग फीट अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल का फ्लैट I
 - III. अधिसूचित नगरपालिका के अन्तर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड ।
 - IV. अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड ।
- 2. अभ्यर्थी जाति के सदस्य हैं, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में अनुसूचित नहीं है ।